<u>दिनांक 27.03.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 140वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 140वीं बैठक श्रीमति काया त्रिपाठी, क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) एवं महाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन विकास विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में श्री सुरेश चंद, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री प्रकाश वीर राठी, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं श्री सुरेश चंद गुप्ता, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग (सं.वि.), राजस्थान सरकार, श्री एस. पी. सिंह, संयुक्त शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया. उन्होने एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की. उन्होने बताया कि राज्य के अच्छे विकास के लिए एसएलबीसी का मजबूत एवं कार्यशील होना बहुत महत्वपूर्ण है. राज्य के विकास के लिए किसान, कामगार, व्यापारी एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसके लिए बैंकर्स एवं सरकार का समन्वित रूप से कार्य करना महत्वपूर्ण है. तत्पश्चात उन्होने समिति की अध्यक्ष महोदया को उद्बोधन हेतु अनुरोध किया.

श्रीमति काया त्रिपाठी, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) व महाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन विकास विभाग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं सदस्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के अधिकारियों, राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की. उन्होने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सम्माननीय मंच पर राज्य सरकार और वरिष्ठ बैंकर्स के साथ उपस्थित होकर विचार साझा करने में अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है.

उन्होने दिनांक 07.01.2019 को आयोजित 139वीं एसएलबीसी राजस्थान की बैठक के बाद हुई विभिन्न योजनाओं की अद्यतन सूचना से सदन को अवगत करवाया जिनमें से प्रमुख निम्नानुसार है :

- केंद्रीय बजट 2018-19 में भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधाओं को पशुपालन एवं मछली पालन करने वालों किसानों को विस्तारित करने की घोषणा की गई है. इस संबंध में उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि अपनी सभी शाखाओं को उक्त योजना के बारे में जागरूक करें जिससे राज्य में अधिकतम लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सके.
- भारत सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसान परिवारों को आय में सहायता प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" (PM-KISAN) योजना चलायी गयी है जिसके तहत 2 हेक्टेयर

तक कुल खेती योग्य भूमि वाले सभी लघु और सीमांत किसान परिवारों को रु 6000/- प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा. उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त योजना के तहत हस्तांतरित राशि से किसी बकाया ऋण का समायोजन नहीं किया जाना सुनिश्चित करें. किसान को उक्त राशि खाते से निकालने का पूर्ण अधिकार है.

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली केसीसी योजना के तहत संतृप्ति (saturation) स्तर प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि राज्य सरकार द्वारा गाँव एवं ब्लॉक स्तर पर लगाए जा रहे शिविरों में पूर्ण सहयोग करें जिससे केसीसी ऋणों की स्वीकृति एवं ऋण वितरण शीघ्र किया जा सके.
- उन्होने बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है और देश की जीडीपी, निर्यात, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान देता है. इस क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं:
    - दिनांक 02.11.2018 से 28.02.2019 तक एमएसएमई क्षेत्र के लिए MSME- Support & Outreach Campaign चलाया गया. उक्त अभियान में बैंकों द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी.
    - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमएसएमई के ऋणों के आस्ति वर्गीकरण में बदलाव किए बिना पुनर्गठन किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है.
    - भारत सरकार ने जीएसटी के तहत पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों के लिए ब्याज अनुदान योजना लागू की है जिसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ एमएसएमई इकाइयों को जीएसटी प्लेटफॉर्म पर ओनबोर्डिंग के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है.

भारत सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने एवं ग्लोबल मार्केट में इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किए गए उक्त उपायों के सार्थक परिणामों की प्राप्ति के लिए बैंक एवं सरकार को समन्वय स्थापित कर कार्य करने की आवश्यकता बताई.

- नाबार्ड द्वारा कॉर्पस फ़ंड के माध्यम से एफ़पीओ को वित्तपोषण एवं विकासात्मक सहयोग प्रदान किया जा रहा है एवं इस हेतु “राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति (SLCC)” का पुनर्गठन किया गया है. बैंकों से अनुरोध किया कि शाखाओं को एफ़पीओ को वित्तपोषित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये.

- 5000 से अधिक आबादी वाले 171 बैंक रहित गांवों में शाखाएँ खोलने के भारतीय रिजर्व बैंक के रोडमैप के तहत 50 गांवों में ब्रिक एंड मोर्टार शाखा एवं 121 गांवों में बीसी द्वारा संचालित बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही है. उन्होने उक्त गांवों के 100% कवरेज करने पर समस्त बैंकों को बधाई दी एवं निर्बाध रूप से बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया.

- भारतीय बैंकिंग उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक एवं देना बैंक के समामेलन का गवाह बनने जा रहा है जो कि इस तरह का पहला समामेलन होगा. उक्त विलय 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा जिसके उपरांत विलयीकृत बैंक देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बड़े बैंक के रूप में कार्यरत होगा.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य के दिसंबर 2018 तिमाही के विभिन्न पैरामीटर्स यथा कुल जमाओं, कुल अग्रिमों, कृषि अग्रिमों, सीमांत एवं लघु कृषकों को ऋण, वार्षिक साख योजना के अंतर्गत उपलब्धि, साख जमा अनुपात इत्यादि के बारे में बताया एवं उक्त सभी पैरामीटर्स पर एजेंडा के कार्यबिन्दु के साथ चर्चा करने की सलाह दी. उन्होने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व स्टैंड अप योजना में बैंकों को आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में अधिक से अधिक नामांकन करवाने हेतु बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया. साथ ही उन्होने प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों में आधार सीडिंग, आधार प्रमाणीकरण, मोबाइल नंबर व रूपे कार्ड एक्टिवेशन पर भी प्रकाश डाला।

उन्होने निम्न मुद्दों पर राज्य सरकार से सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया:-

- राको (रोड़ा) एक्ट एवं SARFAESI एक्ट के अंतर्गत जिला/ ब्लॉक स्तर पर बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित है. यहाँ तक कि कुछ मामले तो एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं. बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए को देखते हुए वसूली हेतु बैंकों के पक्ष में वातावरण बनाने की आवश्यकता है.
- उन्होने यह भी सुझाव दिया कि राको (रोड़ा) और SARFAESI अधिनियम के तहत दायर मामलों में वसूली को प्रोत्साहन देने के लिए एवं लंबित मामलों के निष्पादन हेतु ब्लॉक / जिला प्राधिकरणों को लक्ष्य आवंटित किए जा सकते हैं.
- एसएलबीसी की उपसमिति (बैंकों के बकाया ऋण) की प्रथम बैठक दिनांक 18.03.2019 को आयोजित की गयी जिसमें सरकार द्वारा बैंकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

अंत में राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद किया.

संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री राकेश शर्मा, सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान से बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ करने के निर्देश प्रदान किए.

श्री राकेश शर्मा, सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उन्होने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) विगत **139** वीं बैठक के कार्यवृत्त की सदन द्वारा पुष्टि की गयी.

एजेण्डा क्रमांक - 2

Revamp of Lead Bank Scheme

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक स्कीम में सुधारों के लिए दिए गए सुझावों की अनुपालना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के कार्यवाही बिन्दुओं में परिवर्तन किए गए हैं जिनमें से मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं-

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक नीतिगत मुद्दों पर ही चर्चा करने के लिए केन्द्रित होगी एवं उक्त बैठक में बैंकों/ विभिन्न सरकारी विभागों के केवल राज्य प्रमुख/ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही सहभागिता की जावेगी.
- नियमित मुद्दों पर चर्चा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उप समितियों की बैठक में की जाएगी.
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की त्रैमासिक बैठक हेतु नीतिगत मुद्दो का निर्धारण स्टियरिंग समिति बैठक में विभिन्न हितधारकों द्वारा किया जावेगा.

उन्होने विभिन्न उपसमितियों के आयोजन का विवरण प्रस्तुत किया जो कि निम्नानुसार है:-

उपसमिति	**बैठक की दिनांक**
1. वित्तीय समावेशन	21.01.2019
2. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं	11.02.2019
3. एसएचजी/जेएलजी/ एफ़पीओ	11.02.2019
4. कृषि योजनाओं से संबन्धित	23.01.2019
5. एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन	04.03.2019
6. बकाया ऋण वसूली	18.03.2019

उन्होने बताया कि आज आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 140वीं बैठक के कार्यबिन्दु तैयार करने हेतु स्टियरिंग समिति की चर्तुथ बैठक दिनांक 12.03.2019 को आयोजित की गयी.

एजेण्डा क्रमांक - 3

Key Business Parameters

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि 31 दिसंबर, 2018 तक राज्य में कुल 7855 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं. वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिसंबर तिमाही तक बैंकों द्वारा कुल 323 शाखाएं खोली गयी हैं.

जमाएँ व अग्रिम: 31 दिसंबर, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 13.40% के साथ कुल जमाएँ राशि रू 3,83,010 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 20.86% के साथ कुल ऋण राशि रूपये 3,17,463 करोड़ रहे हैं. जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 12.36%, 15.87% एवं 3.89% रही तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 19.62%, 13.22% एवं सहकारी बैंकों में नकारात्मक वृद्धि 22.14% रही. राज्य का साख जमा अनुपात 85.01% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क से काफी उपर है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 दिसंबर, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 13.41% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रू 2,09,103 करोड़ रहा है.

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 दिसंबर, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 5.24% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,02,736 करोड़ रहा है. सहकारी बैंकों की कृषि ऋणों में नकारात्मक वर्ष दर वर्ष वृद्धि 21.28% रहने के कारण राज्य में कृषि ऋणों में वृद्धि आशानुरूप नहीं रही है.

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण: 31 दिसंबर, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 25.82% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 75,291 करोड़ रहा है.

कमजोर वर्ग को ऋण: 31 दिसंबर, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.47% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 66,032 करोड़ रहा है.

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 31 दिसंबर, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.61% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 14,945 करोड़ रहा है.

राज्य में **कुल अग्रिमों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** को अग्रिम 65.87%, कृषि क्षेत्र को 32.36%, कमजोर वर्ग को 20.80%, लघु एवं सूक्ष्म कृषकों को 14.74% तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 10.06% रहा है.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन में राजस्थान के नजदीकी राज्य हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के 31 दिसम्बर, 2018 के साख जमा अनुपात (CD Ratio), वार्षिक साख योजना में उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति संतोषप्रद पायी गयी. राज्य के सभी बैंकर्स एवं अन्य सभी हितग्राहियों को इसके लिए बधाई दी.

एजेण्डा क्रमांक - 4

Roadmap for coverage of villages having population above 5000 (As per census 2011)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित 171 गॉवों में से दिनांक 31.01.2019 तक 50 गॉवों में बैंक शाखाएं खोली जा चुकी हैं एवं 121 गांवों में बीसी के माध्यम से बैंकिंग आउटलेट की औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. उन्होने उक्त गांवों का 100% कवरेज करने पर समस्त बैंकों को बधाई दी एवं निर्बाध रूप से बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया.

Unbanked Rural Centres (URC)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में चिन्हित दिनांक 31.05.2018 तक राज्य के 895 बैंकरहित गांवों (5 किमी की परिधि में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के रोड्मेप) को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया है. उक्त 895 बैंकरहित गांवों की सूची राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की वैबसाइट पर भी अपलोड कर दी गयी है. इस संबंध में उन्होने बताया कि एयू स्माल फ़ाईनेंस बैंक, बीआरकेजीबी, ईक्विटास स्माल फ़ाईनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कुल 20 बैंकरहित गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना शेष है.

उक्त 895 बैंकरहित गांवों में से 875 गांवों में बैंक मित्र (BC) के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं एवं 1 गांव में बीसी को चयनित किया जा चुका है. 19 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना शेष है.

उन्होने इस संबंध में बताया कि 5 किमी की परिधि में बैंक रहित गांवो में बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराने की उपरोक्त बैंको की दिनांक 28.02.2019 तक की प्रगति निम्नानुसार हैं:

- एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक ने आवंटित 21 गांवों मे से 12 गांवो में व्यवसाय प्रतिनिधियों को नियुक्त कर दिया गया है एवं शेष रहे गांवों में भी व्यवसाय प्रतिनिधियों (BC) को नियुक्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से सूचित किया हैं.
- बंधन बैंक ने आवंटित 3 गांवों में से 2 गांवों में व्यवसाय प्रतिनिधियों को नियुक्त कर दिया हैं. शेष गांव बीरामसर, जिला बीकानेर बंधन बैंक की शाखा से लगभग 110 किमी की दूरी पर होने एवं उक्त गॉव के निकटतम शाखा देना बैंक की होने से सूचित किया है। अत: उक्त गांव देना बैंक को आवंटित करने हेतु निवेदन किया हैं. इस संबंध में उक्त गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने की संभावना तलाशने हेतु नियंत्रक, देना बैंक से एसएलबीसी द्वारा अनुरोध किया गया हैं. लेकिन देना

बैंक ने सूचित किया है कि उक्त स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक का बीसी कार्यरत है एवं उनके द्वारा बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है.

- इक्वीटास स्मॉल फाईनेंस बैंक ने सूचित किया है कि बीसी मॉडल के परीक्षण हेतु तमिलनाडू एवं महाराष्ट्र में पाईलेट प्रोजेक्ट कार्यरत है. अत: उन्होनें राजस्थान में आंवटित 3 गांवों में व्यवसाय प्रतिनिधि को नियुक्त करने में असमर्थता जाहिर की हैं.
- कोटक महिंद्रा बैंक ने आवंटित 3 गांवों में आज दिनांक तक बैंक शाखा की स्थापना अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (BC) को नियुक्त नहीं किया गया हैं एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 5000 से अधिक आबादी वाले गावों (जहाँ पर कोई बैंक शाखा नहीं है) में मार्च 2017 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखा खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके तहत कोटक महिंद्रा बैंक को 2 गांव यथा खान सूरजपुर जिला भरतपुर एवं सांगना जिला जालौर आवंटित किए गए थे लेकिन बैंक द्वारा आवंटित गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु असमर्थता जाहिर की गयी थी. एसएलबीसी की उपसमिति बैठक में आवंटित गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त गांव अन्य बैंको को आवंटित किए गए जहां वर्तमान में बैंकिंग आउटलेट स्थापित कर दिए गए हैं.

उन्होने इस संबंध में बताया कि बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के तहत राज्य में नगण्य प्रगति एवं असहयोगात्मक रवैये के बारे में एसएलबीसी कार्यालय द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को विभिन्न पत्रों के माध्यम से सूचित कर दिया गया है लेकिन आज दिनांक तक कोटक महिंद्रा बैंक से अपेक्षित कार्यवाही प्रतिक्षित हैं.

प्रतिनिधि, एयू स्माल फ़ाईनेंस बैंक ने बताया कि उनके बैंक को आवंटित गांवों में से 9 गांवों में बैंक शाखा की दूरी 50 कि.मी. से भी अधिक होने के कारण उक्त गांवों में बीसी स्थापित किए जाने में समस्या आ रही है एवं आगामी 15 दिवस में बीसी स्थापित करने की कार्यवाही सम्पन्न कर दी जावेगी.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि उक्त गांवों की सूची में अब कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा. जिन गांवों की निकटतम बैंक शाखा से दूरी अधिक है उनके लिए सूचना, संचार एवं प्रद्योगिकी विभाग (Do & IT), राजस्थान सरकार के साथ समन्वय कर ई-मित्र को बीसी नियुक्त कर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने की संभावना तलाशी जा सकती है.

प्रतिनिधि, एयू स्माल फ़ाईनेंस बैंक ने आगामी 15 दिनों में DoIT, राजस्थान सरकार से संपर्क कर ई-मित्र को बीसी नियुक्त करने की संभावना को देखते हुए उक्त 9 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया आरंभ करने का आश्वासन दिया.

(कार्यवाही : एयू स्माल फ़ाईनेंस बैंक)

प्रतिनिधि, ईक्विटास स्माल फ़ाईनेंस बैंक ने बताया कि उनके बैंक को आवंटित 3 गांवों में से 2 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान किया जाना शेष है. उक्त गांवों में आधारभूत ढांचा उपलब्ध ना होने के कारण बैंक

की शाखा नहीं खोली जा सकी है. उन्होने आगामी 10 दिन में बीसी मॉडल के माध्यम से उक्त गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने की संभावनाओं की जांच करने का आश्वासन दिया.

(कार्यवाही : ईक्विटास स्माल फ़ाईनेंस बैंक)

प्रतिनिधि, कोटक महिंद्रा बैंक ने बताया कि उनके बैंक द्वारा 3 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य प्रक्रिया में है एवं आगामी सोमवार तक इस संबंध में उनके बैंक द्वारा नवीनतम स्थिति से एसएलबीसी को अवगत करवा दिया जाएगा. साथ ही आश्वस्त किया कि भविष्य में सभी पत्रों के जवाब निर्धारित समय सीमा में प्रेषित किए जाएंगे.

(कार्यवाही : कोटक महिंद्रा बैंक)

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा राज्य में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत असहयोगात्मक रवैये, एसएलबीसी द्वारा लिखे गए पत्रो के प्रत्युत्तर नहीं प्रदान करने एवं एसएलबीसी की पिछली बैठकों में राज्य प्रमुख द्वारा सहभागिता नहीं करने पर उन्होने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एयू स्माल फ़ाईनेंस बैंक, ईक्विटास स्माल फ़ाईनेंस बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए.

(समस्त : संबन्धित बैंक, राजस्थान)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं महाप्रबंधक ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए बताया कि एसएलबीसी के हितधारकों द्वारा सूचित करना कि 'आधारभूत ढांचा उपलब्ध ना होना' जैसे व्यक्तव्यों से सदन का समय खराब होता है. इस संबंध में उन्होने सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि भविष्य में आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र राज्य सरकार से लेने के पश्चात ही उक्त व्यक्तव्य जारी करें एवं सभी बैंकों के राज्य प्रमुख स्तर के अधिकारियों के द्वारा पूर्ण जानकारी के साथ बैठक में सहभागिता की जाये जिससे तार्किक चर्चा हो सके.

(समस्त : सदस्य बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में PMJDY के तहत 24505046 खाते खोले गए है एवं उक्त खातों में दिनांक 28.02.2019 तक RUPAY कार्ड एक्टिवेशन 42.73% तथा आधार सीडिंग 86.31% है. साथ ही उन्होने समस्त बैंकों से 100% लक्ष्य प्राप्त करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि RUPAY कार्ड एक्टिवेशन का प्रतिशत अत्यंत कम है जिसे बढ़ाए जाने हेतु सभी बैंकों से आवश्यक कदम उठाने के निर्देश प्रदान किए.

(नियंत्रक : सदस्य बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY, PMJJBY एवं APY के तहत दिनांक 28.02.2019 तक कुल नामांकन 77.63 लाख होने के

बारे में सूचित किया जो कि 31.10.2018 में 68.85 लाख था. दिनांक 28.02.2019 तक कुल 11299 क्लेम दायर किए गए जिसमें से 10095 क्लेम का भुगतान कर दिया गया है एवं बीमा कंपनी के पास 284 क्लेम लंबित हैं. उन्होने बीमा क्लेम का भुगतान करने के लिए समस्त बीमा कंपनियों से अनुरोध किया.

अटल पेंशन योजना

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अटल पेंशन के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को वर्गवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. राज्य में कुल 410725 नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 28.02.2019 तक उपलब्धि 48.92% रही है. उक्त योजनांतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया है. साथ ही बताया कि सहकारी बैंकों के समक्ष तकनीकी समस्या आने के कारण उनकी शून्य प्रगति रही है एवं स्माल फाइनेंस बैंक की प्रगति भी शून्य है.

प्रतिनिधि, राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक ने बताया कि अटल पेंशन योजना प्रारम्भ करने में नाबार्ड से स्वीकृति देरी से पाप्त हुई एवं बैंक के सॉफ्टवेयर में अपडेशन नहीं हो पाने के कारण इस वित्तीय वर्ष में उक्त योजनांतर्गत प्रगति नहीं हो पायी है. उन्होने आगामी वित्तीय वर्ष में इस योजना पर प्रगति किए जाने का एवं लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का आश्वासन प्रदान किया.

(कार्यवाही : राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक)

एजेण्डा क्रमांक - 5

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वर्ष 2018-19 के वार्षिक साख योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) राशि रू 1,63,060 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में दिसंबर तिमाही तक की उपलब्धि राशि रू 105421 करोड़ की रही है जो कि 69.29% उपलब्धि है. कृषि में 53.45%, सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र में 135.50% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 51.42% की उपलब्धि दर्ज की गई है.

साथ ही उन्होने बताया कि वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 के निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष दिसंबर तिमाही तक वाणिज्यिक बैंकों ने 76.82%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 59.68%, को-ऑपरेटिव बैंक ने 39.60% तथा स्माल फ़ाइनेंस बैंकों ने 1040.00% की उपलब्धि दर्ज की है. उन्होने स्माल फ़ाइनेंस बैंकों को अपने पहले वित्तीय वर्ष में अच्छा प्रदर्शन करने पर बधाई दी.

उन्होने समस्त बैंकों के साथ साथ विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध किया कि एसएलबीसी की वेबसाइट पर अद्यतित किए जाने वाले आंकड़ें ठीक तरह से जांच कर ही अद्यतित करें जिससे एसएलबीसी बैठक में सही आकड़ें प्रस्तुत किया जा सके.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, आईडीबीआई, इंडियन बैंक, इंडियन ओवेरसीज़ बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनाईटेड बैंक, आरएससीबी की वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति 50% से कम

रहने से सूचित किया है. उन्होने उक्त बैंकों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे कम प्रगति रहने के कारणों से सदन को अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि उनके बैंक द्वारा गलत डेटा अपलोड हो गया है एवं वर्तमान में वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति 50% से अधिक रहने से सूचित किया.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने समस्त बैंक नियंत्रकों से वार्षिक साख योजना के तहत शत-प्रतिशत उपलब्धि हेतु समस्त शाखाओं को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राजस्थान के नजदीकी राज्य हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के 31 दिसंबर, 2018 के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति संतोषप्रद एवं अन्य राज्यों से बेहतर पायी गयी.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एनआरएलएम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित 44180 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज करने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 28.02.2019 तक 35961 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज किया गया है जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 81.40% उपलब्धि है.

राज्य परियोजना प्रबन्धक, राजीविका, राजस्थान सरकार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा दिये गए लक्ष्य राशि के सापेक्ष उपलब्धि 98% एवं खातों के सापेक्ष 87% उपलब्धि रही है

परियोजना निदेशक, राजीविका, राजस्थान सरकार ने समस्त नियंत्रक सदस्य बैंकों से योजनांतर्गत वर्तमान वर्ष के लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि हेतु अनुरोध किया एवं वर्ष 2019-20 के लक्ष्य तिमाही आधार पर प्रदान करने एवं दिसंबर 2019 तक वित्तीय वर्ष के सभी लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये.

(कार्यवाही : राजीविका, राजस्थान सरकार एवं सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>स्वयं सहायता समूह (SHG)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वर्ष दिसंबर 2018 तक 288455 एसएचजी के बचत खाते खोले गए है एवं 70577 एसएचजी पर राशि रू 492.54 करोड़ का ऋण बकाया है.

<u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत दिनांक 28.02.2019 तक एनयूएलएम योजना के तहत 11365 के लक्ष्य है जिसमें से 9500 व्यक्तियों, 350 समूहों एवं 1515 स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि क्रमशः 4924, 111 एवं 736 रही है.

राज्य परियोजना प्रबन्धक, डे-एनयूएलएम, राजस्थान सरकार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा योजनांतर्गत लक्ष्य संशोधित किए गए है. साथ ही बताया कि मुख्य समस्या बैंक शाखाओं के स्तर पर लंबित आवेदनों के निस्तारण की है. उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि लंबित आवेदनों के निस्तारण हेतु सहयोग प्रदान करें.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश प्रदान किए कि जिन आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृत किया जा चुका है उनका ऋण वितरण करवाना सुनिश्चित करें.

(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वर्ष 2018-19 के पीएमईजीपी के तहत राज्य में मार्जिन के लक्ष्य राशि रू 77.43 करोड़ के सापेक्ष राशि रू 58.58 करोड़ की मार्जिन मनी के ऋणों की बैंकों द्वारा राशि वितरित की है, जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 75.66% (ऋण पर मार्जिन मनी वितरित) उपलब्धि है.

प्रतिनिधि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार ने बताया कि वर्ष 2018-19 के दौरान कुछ बैंकों की लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति 100% से भी अधिक रही है। उक्त बैंक इस प्रकार है : बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं विजया बैंक. उन्होने उक्त बैंकों को पीएमईजीपी योजनांतर्गत बहुत अच्छा सहयोग प्रदान करने पर बधाई दी.

साथ ही उन्होने बताया कि कुछ बैंकों की लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति 90% से अधिक रही है यथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ इंडिया एवं पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि. उन्होने उक्त बैंकों से वर्ष की आखिरी तिमाही में लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिकाधिक प्रयास करने का अनुरोध किया. 40% से भी कम उपलब्धि वाले बैंकों यथा बीआरकेजीबी, आरएमजीबी एवं भारतीय स्टेट बैंक की प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए उक्त बैंकों से अपनी अगले वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्यों के सापेक्ष शत प्रतिशत उपलब्धि के लिए रणनीति बताने हेतु अनुरोध किया.

अध्यक्ष, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने उक्त योजनांतर्गत लक्ष्य प्राप्ति करने हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धकों की समीक्षा बैठकों में उक्त मुद्दा स्थायी एजेंडा के रूप में शामिल करने एवं अगले वित्तीय वर्ष में आशानुरूप प्रगति आने का विश्वास जताया.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि चूंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति में काफी कम समय शेष है अतः जिन बैंकों के पास स्वीकृत किए हुए आवेदन वितरण हेतु लंबित हैं, उनका निस्तारण करने की कार्यवाही की जावें जिससे उक्त योजनांतर्गत लक्ष्य प्राप्ति की जा सके.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सुझाव दिया कि बैंकों को गुणवत्तापूर्ण आवेदन प्रेषित किए जाएँ जिससे अस्वीकृत किए जाने वाले आवेदनों की संख्या में कमी आ सके.

Special Central Assistance Scheme SC/ST

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 24,850 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 28.02.2019 तक मात्र 4,737 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 19.06% उपलब्धि है. साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत आवेदन पत्रों को भी एससी/एसटी पॉप के तहत शामिल कर सकते है.

प्रतिनिधि, राजस्थान अनुजा निगम लि. ने बताया कि योजनांतर्गत प्रगति कम होने का कारण शाखाओं में आवेदनों का लंबित होना है.

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि योजनांतर्गत अनुजा निगम लि., राजस्थान सरकार के आंकडों से बैंकों के आंकडों का मिलान नहीं हो पा रहा है. इस कारण से वास्तविक प्रगति सदन के सामने परिलक्षित नहीं हो पा रही है.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया कि उक्त योजनांतर्गत जिलेवार आंकड़ें जिला एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली डीएलआरसी/डीएलसीसी/बीएलबीसी की बैठकों में reconcile किया जा सकता है एवं राजस्थान अनुजा निगम लि. के प्रतिनिधि को नियमित रूप से एसएलबीसी की उपसमिति बैठक में उपस्थित सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए ताकि लंबित आवेदन पत्रों के मिलान हेतु कार्यवाही की जा सके.

(कार्यवाही : राजस्थान अनुजा निगम लि., राजस्थान सरकार)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के आवंटित लक्ष्यों रू 11933.08 करोड़ के सापेक्ष 28.02.2019 तक राशि रू 8074.35 करोड़ के ऋण बैंकों ने वितरित कर दिये हैं, जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 67.66% है.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं स्माल फ़ाईनेंस बैंकों से अनुरोध किया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति में शेष रहे 4 दिनों में उक्त योजनांतर्गत लक्ष्य प्राप्ति हेतु भरपूर प्रयास किए जाएँ जिससे राज्य की प्रगति में सुधार हो सके.

भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY) के अंतर्गत राज्य की 11000 ईकाईयों को वित्तपोषण करने के लक्ष्य रखे गए हैं एवं दिनांक 28.02.2019 तक बैंक शाखाओं द्वारा 9474 आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृति (पीएमएमवाई सहित) की कार्यवाही की गई है तथा लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 86.12% रही है.

प्रतिनिधि, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि आज तक की स्थिति के अनुसार उक्त योजनांतर्गत लक्ष्यों के सापेक्ष 94% उपलब्धि रही है. कुछ बैंकों यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ओबीसी, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक एवं आरएमजीबी को 100% से अधिक लक्ष्य प्राप्ति करने पर बधाई दी. साथ ही अनुरोध किया कि कुछ शाखाओं में आवेदन अभी भी लंबित हैं जिनका निस्तारण कर दिया जाये तो इस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे.

(कार्यवाही : आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार)

स्टेण्ड अप-इण्डिया (SUI)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्टेण्ड अप-इण्डिया योजनान्तर्गत 2 व्यक्तियों प्रति शाखा के मद्देनजर राज्य के बैंकों को आवंटित 13,738 इकाइयों के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में दिनांक 28.02.2019 तक केवल 571 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है एवं संचयी (Cumulative) 3634 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है जो कि केवल 26.45% है.

Automated Processing of various Credit Card Schemes in Banking

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया को सुगम बनाने एवं आवेदनों के समयबद्ध निबटान हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसके बारे में विस्तार से सदन को अवगत करवाने हेतु प्रतिनिधि, DoIT से अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, DoIT, राजस्थान सरकार ने बताया कि उनके विभाग द्वारा उक्त प्रोजेक्ट पर कार्यवाही जारी है.

(कार्यवाही : सूचना, प्रद्यौगिकी एवं संचार, राजस्थान सरकार)

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में दिसंबर 2018 तक 10382 इकाइयों को राशि रू 1184.25 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर हुड़को (HUDCO) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में दिसंबर 2018 तक 1783 इकाइयों को 90.16 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है.

उन्होने बताया कि राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में दिसंबर 2018 तक केवल 2232 इकाइयों को राशि रू 40.17 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है एवं 308 इकाइयों के राशि रू 5.83 करोड़ के ब्याज अनुदान के प्रकरण लंबित है.

प्रतिनिधि, हुड़को ने उक्त योजना पर एसएलबीसी की बैठकों मे विस्तृत चर्चा करने का अनुरोध किया जिससे इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं महाप्रबंधक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रगति की चर्चा आगामी उपसमिति बैठक में करने के निर्देश प्रदान किए.

(कार्यवाही : एनएचबी एवं हुड़को)

Kisan Credit Card (KCC) Scheme: Working Capital for Animal Husbandry and Fisheries: New Scheme

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देश जारी किए है कि किसानों को अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता को देखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधाओं का लाभ पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन इत्यादि को भी प्रदान किया जावेगा एवं उक्त किसान भी ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगे. स्केल ऑफ फाइनेंस का निर्णय जिला स्तर पर कार्यरत डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी (DLTC) द्वारा किया जावेगा.

Credit flow to Agriculture- Collateral free agricultural loans

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देश जारी किए है कि सम्पार्श्विक संपत्ति रहित कृषि ऋण की सीमा रु 1 लाख से बढ़ाकर रु 1.60 लाख कर दी गयी है.

PM-KISAN Scheme

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" (PM-KISAN) योजना चलायी गयी है जिसके तहत 2 हेक्टेयर तक कुल खेती योग्य भूमि वाले सभी लघु और सीमांत किसान परिवारों को रु 6000/- प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा.

उन्होने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार उक्त योजना के तहत किसानों के खाते में हस्तांतरित राशि से किसी बकाया ऋण का समायोजन नहीं किया जाना सुनिश्चित करने हेतु समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंकों से अनुरोध किया.

Campaign to achieve saturation under the Kisan Credit Cards (KCC) Scheme

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने किसानों को दी जाने वाली केसीसी योजना के तहत संतृप्ति (Saturation) स्तर प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही बताया कि अभियान के तहत गाँव एवं जिला स्तर पर शिविर लगाए जाने हैं एवं बैंक शाखाओं में अतिरिक्त काउंटर लगाये जाने है एवं आवेदन करने के 2 सप्ताह के अंदर किसानों को केसीसी ऋण सुविधा प्रदान करवाई जानी है. आईबीए द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि केसीसी ऋणों पर प्रोसेसिंग, प्रलेखन, निरीक्षण एवं लेज़र फोलियो चार्ज़ ना लगाए जाएँ. उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त दिशा- निर्देश अपनी शाखाओं को प्रेषित कर केसीसी ऋणों का समयबद्ध प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें.

PMFBY & WBCIS

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबन्धित विभिन्न मुद्दों को सुलझाने हेतु बैंकों एवं बीमा कंपनियों के अनुरोध पर विभिन्न बैठकें आयोजित की गयी. साथ ही एसएलबीसी के विशेष अनुरोध पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमएफ़बीवाई एवं संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 08.02.2019 को विशेष बैठक का आयोजन किया गया. इस संबंध में विभिन्न बैठकें आयोजित करने के बावजूद भी फसल बीमा योजना से जुड़े मुद्दों पर आज तक निर्णय नहीं हो पाया है.

संयुक्त निदेशक, कृषि, राजस्थान सरकार ने सूचित किया कि खरीफ 2018 से पूर्व के मौसम के जो आंकड़े बैंक शाखाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए है उनका अनुदान उनके विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमएफ़बीवाई एवं संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन के पश्चात हाल ही में बैंक शाखाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न मौसमों के आंकड़ों को स्वीकार किए जाने से सूचित किया.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी बैठकों में विभिन्न हितधारकों की सहमति के पश्चात लिए गए निर्णयों को कुछ बीमा कंपनियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है जिसमें से प्रमुख रूप से टाटा एआईजी ने असहयोगात्मक रवैया अपनाया हुआ है. खरीफ 2018 के आंकड़ें अद्यतित करने हेतु पोर्टल खुला होने के बावजूद भी टाटा एआईजी बीमा कंपनी द्वारा संबन्धित बैंक शाखाओं को फसल बीमा प्रीमियम की राशि लौटा दी गई है जो कि अनुचित है.

प्रतिनिधि, पंजाब नेशनल बैंक एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने बताया कि टाटा एआईजी बीमा कंपनी द्वारा खरीफ 2018 की फसल बीमा प्रीमियम की राशि का संबन्धित बैंक शाखाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के लौटा दी गई है. फसल बीमा कंपनियों जिसमें से मुख्यतः यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस द्वारा सर्विस चार्ज की राशि का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है, जबकि यह मुद्दा भी अनेक बार विभिन्न बैठकों में उठाया गया है.

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि उनके बैंक की बीकानेर में स्थित कुछ शाखाओं द्वारा गत वर्ष फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी को भेजा गया प्रीमियम बीमा कंपनी द्वारा पोर्टल बंद होने का हवाला देकर लौटा दिया गया. तदुपरान्त फसल खराब होने पर किसानों द्वारा भारी विरोध प्रदर्शन का सामना किया गया और बैंक द्वारा किसानों को करोड़ो रू का हर्जाना देना पड़ा.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं महाप्रबंधक ने कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि बीमा कंपनियों की लापरवाह कार्यशैली पर संज्ञान लेवें एवं उन्हें सरकार एवं एसएलबीसी बैठकों में हुए निर्णयानुसार जारी दिशा-निर्देशों को जिम्मेदारी की भावना से कार्य करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें.

साथ ही उन्होने सदन को अवगत करवाया कि एसएलबीसी द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी एसएलबीसी की बैठक एवं एसएलबीसी की विभिन्न उपसमिति की बैठकों में बीमा कंपनियों के सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा लंबे समय से सहभागिता नहीं की जा रही है, जो कि अनुचित है। इस संबंध में कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से निर्देश जारी करने का अनुरोध किया.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि पोर्टल का सुचारू रूप से कार्य नहीं करने के कारण बैंक शाखाओं द्वारा अंतिम तिथि तक पोर्टल पर डेटा एंट्री नहीं होना प्रमुख कारण है एवं पोर्टल पर आकडे अद्यतन करने हेतु अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया

(कार्यवाही : कृषि, विभाग, राजस्थान सरकार एवं फसल बीमा कम्पनीयां, राजस्थान)

संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने बीमा कंपनियों की लापरवाह कार्यशैली की निंदा की एवं बताया कि आगामी एसएलबीसी की बैठक से पहले बीमा कंपनी, एसएलबीसी एवं राज्य सरकार की बैठक करने का आश्वासन दिया जिसमें पीएमएफ़बीवाई योजना से संबन्धित सभी मुद्दों पर चर्चा कर समाधान किया जाएगा एवं नीतिगत मुद्दो को ही एसएलबीसी में चर्चा हेतु रखे जाने का आश्वासन दिया.

(कार्यवाही : कृषि, विभाग, राजस्थान सरकार एवं फसल बीमा कम्पनीयां, राजस्थान)

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि फसल बीमा से संबन्धित आगामी बैठकों में बीमा कंपनियों के सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा सहभागिता किया जाना सुनिश्चित करावें. टाटा एआईजी एवं अन्य बीमा कंपनियों द्वारा एसएलबीसी की बैठक एवं एसएलबीसी की विभिन्न उपसमिति की बैठकों में सहभागिता नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा उक्त कंपनियों के उच्च प्रबंधन को सूचित किया जावें.

(कार्यवाही : कृषि, विभाग, राजस्थान सरकार एवं फसल बीमा कम्पनीयां, राजस्थान)

Constitution of SLCCs on FPOs under PRODUCE FUND

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में कृषि ऋण को बढ़ावा देने हेतु एफ़पीओ महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर रहा है जिसका लाभ लेकर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत दीर्घ कालीन कृषि ऋण को भी बढ़ाया जा सकता है. नाबार्ड द्वारा कॉर्पस फ़ंड के माध्यम से एफ़पीओ को वित्तपोषण एवं विकासात्मक सहयोग प्रदान किया जा रहा है एवं सलाहकार संस्था "राज्य स्तरीय परामर्शदात्री समिति (SLCC)" का पुनर्गठन किया गया है.

संयुक्त शासन सचिव, कृषि ने बताया कि एफ़पीओ के पंजीकरण, एफ़पीओ से संबन्धित सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने एवं एफ़पीओ से संबन्धित समस्त जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु उनके विभाग द्वारा कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान सरकार को नोडल एजेंसी बनाया गया है.

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector - Restructuring of Advances

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एमएसएमई उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने onetime Restructuring एवं ब्याज अनुदान (Interest Subvention) योजना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए है. उक्त निर्देशों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण सदन के समक्ष प्रदान किया एवं समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि एमएसएमई उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करें.

(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)

Parliamentary Committee

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 21.02.2019 से 24.02.2019 तक संसदीय स्थायी समिति का कृषि पर अध्ययन दौरा आयोजित किया गया जिसकी नोडल एजेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा थी. संसदीय स्थायी समिति ने निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए है :

- किसानों को ज्यादा से ज्यादा अल्पावधि कृषि ऋण (Short Term Agriculture Loan) प्रदान किए जाने पर ज़ोर दिया गया जिससे उन्हे ब्याज अनुदान (Interest Subvention) का फायदा मिल सके.
- लघु एवं सीमांत किसानों को भी अधिकाधिक कृषि ऋण प्रदान करना.
- कृषि ऋण हेतु ऋण दस्तावेजों की संख्या एवं ऋण प्रक्रिया में लगने वाले समय (TAT) में कमी लाने पर ज़ोर दिया गया.

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>शिक्षा ऋण (Education Loan)</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंकों द्वारा वर्ष 2018-19 में दिसंबर तिमाही तक राज्य में 9379 छात्रों को राशि रू 322.54 करोड़ के शैक्षिक ऋण वितरित किए गए हैं जिनमें कुल 52912 छात्रों पर बकाया राशि रू 1813.12 करोड़ है एवं एनपीए 4.03% होने से अवगत करवाया.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त योजनांतर्गत विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर उपलब्ध डेटा भी आगामी बैठक के एजेंडा में शामिल करने का अनुरोध किया.

(कार्यवाही : एसएलबीसी, राजस्थान)

एजेंडा क्रमांक- 6

CD Ratio, Review of Districts with CD Ratio below 40% and working of special Sub-Committee of DCC (SCC)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने जिलों का साख जमा अनुपात निम्नानुसार सूचित किया :

100% से अधिक 7 जिलों में,	71%-100% 15 जिलों में,
61%-70% 4 जिलों में,	51%-60% 4 जिलों में,
41%-50% 1 जिले में	40% से कम 2 जिलों में है.

उन्होने अग्रणी जिला प्रबन्धक, जिला डूंगरपुर एवं सिरोही से उनके जिले का साख जमा अनुपात 40% से भी कम होने के कारणों से सदन को अवगत करवाने का अनुरोध किया.

अग्रणी जिला प्रबन्धक, जिला सिरोही ने बताया कि सिरोही जिले के लोगों की प्रवृत्ति धन जमा करने की है. जिले के लोग दक्षिण भारत के राज्यों में कार्यरत हैं जहां से राशि का लगातार आगमन होता रहता है. जिले में ज्यादा औद्योगिक इकाईयां भी नहीं है एवं व्यवसायियों में ऋण लेने की प्रवृत्ति भी नहीं है, वे नगद में काम करना ही पसंद करते हैं कुछ औद्योगिक इकाईयां जैसे बिनानी सीमेंट व जे. के. सीमेंट की

इकाइयां सिरोही में कार्यरत है लेकिन उनको ऋण बैंकों के कॉरपोरेट कार्यालय अथवा अन्य जिलों से फाइनेंस किया गया है उक्त ऋण सिरोही जिले से संबन्धित है लेकिन उक्त आकड़ों को सिरोही जिले के साख के आकडे में सम्मिलित नहीं किया गया है जिससे जिले का साख-जमा अनुपात प्रभावित होता है.

अग्रणी जिला प्रबन्धक, जिला डूंगरपुर ने बताया कि जिले में आधारभूत सुविधाओं की कमी एवं भौगोलिक विषमताओं के कारण औद्योगिकरण बहुत ही कम है इस कारण से जिले के अधिकतर लोग रोजगार हेतु गुजरात एवं विदेशों में जाते हैं तथा वहां से राशि का लगातार आगमन बना रहता है. जिले में दो बड़ी औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं परंतु उनका फ़ाईनेन्स कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई एवं दिल्ली से किया गया है. केंद्रीय सहकारी बैंकों में हुई ऋण माफी के कारण भी साख जमा अनुपात कम हुआ है. साथ ही बताया कि साख जमा अनुपात कम रहने का एक मुख्य कारण रु 497 करोड़ NRE deposit का होना है. जिले में एनबीएफ़सी कंपनियाँ भी कार्यरत हैं जिनका साख जमा अनुपात हमारे आंकड़ों में सम्मिलित नहीं किया गया है. जिले का स्केल ऑफ फ़ाईनेंस काफी कम है जिसे बढ़ाए जाने का निर्णय गत डीएलआरसी की बैठक में लिया गया है.

साथ ही उन्होने बताया कि दिनांक 31.12.2018 तक जिलें में विभिन्न बैंकों का निम्न साख जमा अनुपात रहा है जिसमें से प्रमुख रूप से भारतीय स्टेट बैंक का 24.26% सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 30.11%, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का 21.06%, पंजाब नेशनल बैंक का 30.37%, सहकारी बैंक 29.55%, एक्सिस बैंक का 6.87%, इंडस इंड बैंक का 0.55%, है.

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने सुझाव दिया कि उक्त जिलों में स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित किए जाने की अपार संभावनाएं हैं.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा उक्त जिलों के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी सदन को प्राप्त हुई है. भविष्य में उक्त बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए कार्ययोजना बनाई जाएगी जिससे इन जिलों का साख जमा अनुपात बढ़ सके.

(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)

NPA Position

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिसंबर, 2018 तिमाही तक कुल अग्रिम राशि रू 317463 करोड़ है तथा कुल एनपीए राशि रू 11659 करोड़ है जो कि कुल अग्रिम का 3.67% है. कृषि क्षेत्र में एनपीए 6.35%, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 3.22%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 2.44% एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 4.64% है.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सितंबर 2018 में कुल एनपीए 3.78% था जो कि दिसंबर 2018 में भी 3.67% है. सितंबर 2018 में कुल कृषि ऋण एनपीए 5.77% था जो कि दिसंबर 2018 में बढ़कर 6.35% हो गया है.

Sub-Committee Meeting of SLBC on Recovery of Bank Dues

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी की उपसमिति (बैंकों के बकाया ऋण) की प्रथम बैठक दिनांक 18.03.2019 को आयोजित की गयी जिसमें सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों एवं समस्त राजस्व अधिकारियों को रिकवरी हेतु बैंकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के संबंध में डीओ पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

सरफेसी एक्ट, 2002, राको रोड़ा एवं वसूली

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कुल 633 मामले राशि रू 295 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 536 मामले राशि रू 248 करोड़ के प्रकरण 60 दिन से अधिक से लंबित हैं एवं राको रोड़ा एक्ट के अंतर्गत कुल 1,09,983 मामले राशि रु 3,137 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 57,615 मामले 1 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं.

उन्होने केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दिये गए ऋणों को राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 में शामिल जाने हेतु आयोजना विभाग, राजस्थान से अनुरोध किया ताकि बैंकों की वसूली में सुधार हो सके तथा आगे नये ऋण देने में उन्हे प्रोत्साहन मिल सकें.

एजेंडा क्रमांक- 8

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में कार्यरत 35 आरसेटी द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है. दिनांक 31.12.2018 तक कुल व्यवस्थापन दर 69.89% रहने से सूचित किया.

राज्य निदेशक, आरसेटी ने बताया कि राज्य में 19 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 7 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाना शेष है। साथ ही बताया कि सभी आरसेटी की ग्रेडिंग काफी अच्छी रही है जिसमें 23 आरसेटी को AA ग्रेडिंग प्राप्त हुई है. उन्होने समस्त आरसेटी प्रयोजक बैंक से अनुरोध किया कि समस्त आरसेटी को AA ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए सभी पैरामीटर प्राप्त करने के लिए आरसेटी को निर्देशित करें एवं पर्याप्त स्टाफ एवं संसाधन आरसेटी को उपलब्ध करावें.

उन्होने बताया कि यूको बैंक की 2 आरसेटी का निर्माण कार्य बीच में रुका हुआ है, जिसे जल्द शुरू करवाने हेतु नियंत्रक यूको बैंक से अनुरोध किया.

(कार्यवाही : समस्त आरसेटी प्रयोजक बैंक)

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरसेटी के भवन निर्माण के लिए राशि रु 1 करोड़ स्वीकृत किए जाते हैं जिसमें से 3 वर्ष का किराया एवम अन्य सभी प्रकार के शुल्क की कटौती के पश्चात शेष राशि भवन निर्माण के लिए बचती है. उक्त राशि का आवंटन निर्णय लगभग वर्ष 2010 में हुआ था एवं 8000 वर्ग फिट के भवन निर्माण के लिए वर्तमान में यह राशि पर्याप्त नहीं है. इस संबंध में उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उक्त राशि बढ़ाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु एसडीआर से अनुरोध किया.

(कार्यवाही : स्टेट डाइरेक्टर, आरसेटी, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार)

R-SETI Building Construction

सवाई माधोपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा) : सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यू.आई.टी. सवाईमाधोपुर ने आरसेटी, सवाईमाधोपुर के लिए ग्राम जटवाड़ा खुर्द में 2500 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की है. संभागीय आयुक्त, भरतपुर की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2018 को आयोजित बैठक में उक्त भूमि के निशुल्क आवंटन हेतु अनुशंसा की गयी। तत्पश्चात सचिव, नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर ने पत्रांक प.3(30) नविन्सा /भू.आ.वं/2017/294 दिनांक 31.08.2018 के माध्यम से निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु संयुक्त शासन सचिव (तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है. उक्त प्रकरण संयुक्त शासन सचिव (तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

अलवर (पंजाब नेशनल बैंक) : सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यूआईटी, अलवर द्वारा 2500 वर्ग मी. की भूमि पंजाब नेशनल बैंक को आवंटित कर रु 56,56,400/- का डिमांड नोटिस जारी किया गया है. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि यूआईटी, अलवर द्वारा रु 56,56,400/-, ले-आउट चार्ज एवं अन्य चार्ज माफ किए जाने पर ही इस मुद्दे पर आगे कार्यवाही की जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जैसलमेर (भारतीय स्टेट बैंक) : सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि संयुक्त शासन सचिव तृतीय, राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग से प्राप्त पत्र क्र.प.2(5)नविवि/जैसलमेर/2017 दिनांक 02.04.2018 के अनुसार आरसेटी जैसलमेर के भवन निर्माण हेतु नगर विकास न्यास जैसलमेर की अमर शहीद सागरमल गोपा आवासीय योजना में ओ.सी.एफ. हेतु आरक्षित 2937 वर्ग गज भूमि निःशुल्क आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा आरसेटी निदेशक, जैसलमेर को लीज़ राशि के भुगतान हेतु डिमांड नोटिस भेजा गया है जिसमें भुगतान हेतु 2 विकल्प रखे गए हैं:-

1. 8 वर्ष तक रु 187821/- प्रति वर्ष अथवा 2. दिनांक 31.03.2019 तक एकमुश्त रु 1502568/-

भारतीय स्टेट बैंक ने उक्त राशि की छूट प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जालौर (भारतीय स्टेट बैंक) : सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी जालौर को भवन निर्माण हेतु ज़िलाधीश महोदय, जालोर के आदेश क्रमांक/एफ12(3)(5)सार्व/राजस्व/12/88/ दिनांक 08.01.2016 के द्वारा भूमि आवंटन किया गया था. तत्पश्चात दिनांक 23.02.2016 को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था. दिनांक 29.03.2016 को पट्टा जारी होकर, 01.04.2016 को पंजीयन भी करवा दिया गया था. इसके पश्चात 21.07.2016 को श्री मुकेश सुनदेशा ने उक्त आवंटन आदेश के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उक्त भूमि पर अपना हक जताते हुए अपील दायर कर दी. तब से आज तक 9 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक लंबित है. आरसेटी के भूमि विवादित होने के कारण आरसेटी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है. इस संदर्भ में ज़िलाधीश, जालौर महोदय को भारतीय स्टेट बैंक के पत्र क्रमांक मा.बै.वि./497 दिनांक 24.10.2018 के माध्यम से आरसेटी जालौर को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया है, जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर से कार्यवाही अपेक्षित है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलेक्टर जालौर को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

पाली (भारतीय स्टेट बैंक) : सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि पूर्व में टेगोर नगर पाली में नगर परिषद, पाली द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) को 1000 वर्ग गज तक भूमि आरक्षित दर के 5 प्रतिशत दर पर आवंटित किए जाने की स्वीकृति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी थी, परंतु आरसेटी बिल्डिंग बनाने के लिए न्यूमतम 0.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है. अतः नगर परिषद पाली को पुनः 26.02.2018 को आरसेटी पाली हेतु न्यूमतम 0.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करने हेतु लिखा गया है. नगर परिषद पाली द्वारा मानपुरा भाकरी रोड पर एक बीघा 2.5 बिसवा भूमि बताई गयी है, जो कि 0.5 एकड़ से कम है. अतः आयुक्त नगर परिषद पाली को 0.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने हेतु पुनः निवेदन किया गया है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलक्टर पाली को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 26.03.2019 को आयोजित बैठक में हुए निर्णयानुसार आरसेटी के भूमि आवंटन के प्रकरण एवं व्यावसायिक बिजली की दर से घरेलू दर में परिवर्तन के मुद्दों के निस्तारण हेतु दिनांक 10 से 15 अप्रेल के मध्य मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में बैठक आयोजन करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

Credit Assistance given to RSETI trainees under MUDRA Scheme- As on 31.12.2018

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने आरसेटी प्रशिक्षुओं के मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण हेतु 3000 आवेदन लंबित होने से सूचित किया. उन्होने सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपनी शाखाओं को 15 दिनों के भीतर लंबित ऋण आवेदनों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित करें. डीसीसी संयोजक बैंकों से अनुरोध है कि वे डीएलआरसी / बीएलबीसी बैठकों में प्रगति की निगरानी के लिए अग्रणी जिला प्रबन्धकों को निर्देशित करें.

(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)

उन्होने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा कामगारों को मैसन प्रशिक्षण आरसेटी के माध्यम से दिलवाए जाने की घोषणा की गयी थी परंतु आरसेटी के पास उक्त प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधन एवं प्रशिक्षक उपलब्ध ना होने के कारण मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि कामगारों को मैसन प्रशिक्षण आरसेटी के माध्यम से नहीं प्रदान किया जाएगा.

<u>वित्तीय साक्षरता केंद्रों के लिए आरबीआई की आदर्श योजना के तहत प्रगति</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विभिन्न बैंकों ने 67 FLCs स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से दिसंबर 2018 तिमाही में (पार्ट ए) लक्षित समूह के लिए 612 एवं पार्ट बी के लिए 1261 विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं.

एजेंडा क्रमांक- 9

<u>Steps taken for improving Land Record, Progress in Digitization of Land Record and seamless Loan Disbursement</u>

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य के कुछ जिलों यथा अजमेर बारां, बूंदी, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, झालावाड़, जैसलमेर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर एवं सिरोही इत्यादि के रजिस्ट्रार/ तहसील कार्यालय द्वारा भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन करने एवं अन्य कारणों के चलते बैंक शाखाओं द्वारा प्रेषित कृषि भूमि के रहन के प्रकरण पिछले 2-3 माह से लंबित है जिससे कृषकों को कृषि ऋण प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण प्रगति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इस संबंध में उन्होने प्रतिनिधि, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार से कार्यवाही करने का अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन करने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है. उक्त जिलों में आ रही परेशानी को दूर करने का आश्वासन दिया.

(कार्यवाही : पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी द्वारा राज्य के समस्त कस्बों/ नगरपालिका क्षेत्रों को Transfer of Property Act में चिन्हित करने हेतु पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार से अपेक्षित कार्यवाही प्रतीक्षित है.

साथ ही बताया कि कृषि ऋण उपलब्ध करवाने हेतु कृषक की कृषि भूमि बंधक रखी जाती है एवं उक्त कार्यवाही संबन्धित रजिस्ट्रार/तहसील कार्यालय में संपादित की जाती है. विभिन्न बैंकों द्वारा सूचित किया है कि राजस्थान में कुछ स्थानों पर छलपूर्वक बैंक के लेटरपेड़ व मोहर का प्रयोग करते हुए बंधक निरस्त करवा लिया गया है. इस संबंध में मुद्रांक व पंजीयन विभाग तथा राजस्व विभाग से अनुरोध है कि कृषि भूमि का बंधन निरस्त करने से पूर्व संबन्धित बैंक शाखा से पुष्टि (Confirmation) करने हेतु राज्य के समस्त रजिस्ट्रार/तहसील कार्यालय को निर्देशित करें.

(कार्यवाही : पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार)

उन्होने जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखा परिसर के बाहर लगे हुए Glow Sign Board के कारण बैंकों पर प्रभारित किये गये विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करने हेतु स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से पुनः अनुरोध किया.

(कार्यवाही : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक में बैंकों से राज्य प्रमुख एवं राजस्थान सरकार से राज्य प्रमुख अथवा शासन सचिव/ आयुक्त स्तर के अधिकारियों की सहभागिता किया जाना आवश्यक है. एसएलबीसी की उप समिति बैठक में बैंकों से सहायक महाप्रबंधक एवं राजस्थान सरकार से संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों की सहभागिता किया जाना आवश्यक है.

(कार्यवाही : समस्त हितधारक, एसएलबीसी राजस्थान)

उन्होने बताया कि जना स्माल फाइनेंस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेन्स प्रदान किया गया है। एसएलबीसी का सदस्य बनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने एसएलबीसी की बैठक के संबंध में कुछ सुझाव दिये यथा एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा- निर्देशानुसार 45 दिवस में की जाये, राज्य सरकार एवं बैंक के उच्च स्तर के अधिकारियों को बैठक में सहभागिता करने हेतु आमंत्रित किया जाये, बैठक का एजेंडा सभी हितग्राहियों को समय पर प्रेषित किया जाए.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा दिये गए सुझावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बैठक का एजेंडा समय पर ही प्रेषित किया गया है. राज्य सरकार के उच्च स्तर के अधिकारियों को भी पत्र के माध्यम से एवं व्यक्तिगत रूप से भी आमंत्रित किया जाता है लेकिन चुनावी प्रक्रिया में अधिकतर शासन सचिव व्यस्त होने के कारण आज की बैठक में सहभागिता नहीं कर पाए है. साथ ही अन्य सभी सुझावों को अनुपालनार्थ नोट किया.

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग (सं.वि.), राजस्थान सरकार ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा सभी पैरामीटर्स में बहुत अच्छा कार्य किया गया है, जिसके लिए समस्त बैंक बधाई के पात्र हैं. साथ ही उन्होने बताया कि राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाएँ बैंकों के सहयोग से ही सफल रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं. उन्होने समस्त बैंकर्स से अनुरोध किया कि सरकार द्वारा प्रायोजित समस्त योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों का वितरण वित्तीय वर्ष समाप्ति में शेष रहे 4 दिवस में करें.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के तहत कम प्रगति करने वाले बैंकों को निर्देश प्रदान किए कि वे जल्द से जल्द बीसी लगाने एवं शाखा खोलने का कार्य पूरा कर एसएलबीसी को सूचित करें. जिन बैंकों द्वारा बैंकिंग आउटलेट एवं बीसी लगा दिये गए हैं वे उनके प्रदर्शन की नियमित निगरानी करें.

उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि फसल बीमा का पोर्टल सुचारू रूप से संचालित करे एवं बीमा कंपनियों द्वारा लंबित मुद्दों को शीघ्र सुलझाने का श्रम करें. सरफेसी एवं राको रोड़ा एक्ट के तहत रिकवरी प्रक्रिया में तेजी लाये जाने की आवश्यकता बताई. एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक में बैंकों से राज्य प्रमुख एवं राजस्थान सरकार से राज्य प्रमुख अथवा शासन सचिव/ आयुक्त स्तर के अधिकारियों की सहभागिता किया जाना अति आवश्यक है एवं अनुरोध किया कि आगामी त्रैमासिक बैठक में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की सहभागिता सुनिश्चित की जाये.

(कार्यवाही : आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

श्रीमती सविता डी. केणी, उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा समिति में पधारे मंचासीन अतिथियों, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनी के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया.

****